"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 61] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 फरवरी 2011—फाल्गुन 5, शक 1932

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानंदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्रमांक एफ-158/रानिआ/नपा/10/334.—दिनांक 26 फरवरी 2011 को नगर पंचायत पखांजूर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के 01 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-153/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

जोसना साहा, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, पखांजूर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छ. ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 26 फरवरी, 2011

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) उत्तर बस्तर कांकेर के प्रतिवेदन दिनांक 2 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत, पखांजूर के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 8 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) उत्तर बस्तर कांकेर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 3 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत, पखांजूर के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी जोसना साहा द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) उत्तर बस्तर कांकेर ने अपने ज्ञापन दिनांक 6 मार्च 2010 द्वारा पुन: प्रतिवेदन दिया कि अभ्यर्थी जोसना साहा द्वारा दिनांक 2 मार्च 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) उत्तर बस्तर कांकेर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विधि अनुरूप प्रस्तुत नहीं करने वाली उपरोक्त अभ्यर्थी जोसना साहा को दिनांक 8 मार्च 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास विधिवत् प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में ज़वाब 15 दिवस में चाहा गया. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी को दिनांक 4 सितम्बर 2010 को तामील की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी जोसना साहा को विधिवत् तामील नहीं होने के कारण पुन: व्यक्ति: दिनांक 2 फरवरी 2011 को विधिवत् तामील कराया गया. अभ्यर्थी जोसना साहा को कारण बताओ सूचना व्यक्तिशत: विधिवत् तामील होने के उपरान्त भी उसके द्वारा अपना जवाब न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त प्रस्तुत किया गया है. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उपरोक्त अभ्यर्थी को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) उत्तर बस्तर कांकेर ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी जोसना साहा ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अतः उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था. उक्त जानकारी 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा प्रतिवेदन में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी 2010 होना दर्शाया गया है.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) उत्तर बस्तर कांकेर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत पखांजूर के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी जोसना साहा ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब दिया. इस असफलता के लिए उसने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. यद्यपि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा 2 मार्च 2010 को प्रस्तुत किया गया है लेकिन यह अधिनियम की धारा 32-ख का अनुपालन नहीं माना जा सकता है. अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी जोसना साहा प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही है तथा उक्त अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती है. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी जोसना साहा को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उसे इस आदेश की तारीख से चार वर्ष पांच माह की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 26 फरवरी 2011 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.